मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई. भारत सरकार कृषि एवं. किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा नई दिल्ली-110012 दिनांक ै | दिसम्बर, 2023

सेवा में

Sh. Aijaz Ahmad Wagay Issoo, Shangus, Anantnag-192101 (Jammu & Kashmir)

Email: aijazahmadwagay2622w@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री Aijaz Ahmad Wagay, Jammu & Kashmir से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00066 दिनांक 04-12-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सचना निम्नवत है :-

मांगी गई सूचना	जवाब
I desire to take all type	A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programs for Extension
of information	Reforms" popularly known as ATMA Scheme is under implementation since 2005.
regarding all schems of	Presently, the scheme is being implemented in 739 districts of 28 States & 5 UTs in the
Govt. of India through	country (including Anantnag District). The Scheme promotes decentralized farmer-friendly
Block Achabal	extension system in the country. Under the Scheme Grants-in-Aid is released to the State
Anantnag (J&K) to our	Governments with an object to support State Government's efforts to make available latest
Halqa, Issoo, Post	agricultural technologies and good agriculture practices in different thematic areas of
Office Achabal, Distt	agriculture and allied areas to farmers through different extension activities viz. Farmers
Anantnag from last 6	Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and
years. It is also	organizing Farm Schools etc.
requested plz provide	The applicant is advised to seek information either from the Project Director (ATMA) of
suitable information to	Anantnag District or Director of Agriculture & State Nodal Officer (ATMA), Directorate of
me in a short time.	Agriculture, Government of Jammu & Kashmir, Krishi Bhawan, Tallab-Tallo, Jammu-180002.
	ATMA Scheme Guidelines, 2018 are available in public domain vide
	(http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf)

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है:-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न॰ 204, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012 दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

> भवदीया प्रिया पांडे)

उप॰ निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

## प्रतिलिपि :-

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट <u>www.krishivistar.gov.in</u> पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।